ग्राम पंचायत दारचा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016

भाग–एक

1 **प्रस्तावना (क):–** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC- (5) C (15) LAD/2006-12669 दिनांक 7.4.16 द्वारा दायित्व पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत दारचा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत थे:–

(i) प्रधान:–

क्र0सं0	नाम	अवधि
1	श्री छेरिंग फुन्चोंग	1.4.13 से 31.3.16

(ii) सचिव:–

1	श्री विनोद कुमार	1.4.13 से 1.12.15
2	श्रीमती रजनी देवी	2.12.15 से 27.2.16
3	श्री कुलजीत सिंह	28.2.16 से 31.3.16

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:– ग्राम पंचायत दारचा के लेखाओं अवधि 01.04.2013 से 31.03.2016 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:–

क्र0सं0	पैरा सं0	गम्भीर अनियमितता का सार	₹ (लाखों में)
1	7	पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष।	0.35
2	4.1	रोकड़ बही का रख रखाव नियम–7 के अनुसार न करना	
3	8	अनुदान का उपयोग न करना	19.81
4	10	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना स्टॉक/स्टोर का क्रय	5.25

भाग–दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:–**

ग्राम पंचायत दारचा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं का प्रथम एवं वर्तमान अंकेक्षण श्री विकास धवन अनुभाग अधिकारी द्वारा

दिनांक 6.9.16 से 15.9.16 तक पंचायत कार्यालय में किया गया। लेखाओं की विस्तृत जाँच हेतु आय व व्यय के लिए क्रमशः माह 6/13, 8/14 व 5/15 तथा 10/13, 11/14 व 8/15 का चयन किया गया जिसके परिणामों का आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा।

3 अंकेक्षण शुल्कः–

ग्राम पंचायत दारचा, विकास खण्ड दारचा, जिला लाहौल स्पिति के अवधि 4/13 से 3/16 के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹5000/– बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या VD (211)/2016–162 दिनांक 15.9.16 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत दारचा से अनुरोध किया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

ग्राम पंचायत दारचा के अवधि 4/13 से 3/16 के स्वस्त्रोतों व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है जिसका विस्तृत विवरण परिशिष्ट 1 (क) से 1 (घ) में दिया गया हैः–

वर्ष	अथशेष ₹	प्राप्ति ₹	ब्याज ₹	योग ₹	व्यय ₹	अन्तिम शेष ₹
2013–14	937570.94	1036953	27325	2001848.94	631200.10	1370648.84
2014–15	1370648.84	2593602	53428	4017678.84	2644259.60	1373419.24
2015–16	1373419.24	3969958.37	52490	5395866.61	2121536.73	3274329.88

ग्राम पंचायत दारचा के विभिन्न बैंक खातों में दिनांक 31.3.16 को जमा शेष राशियों का विवरण निम्न प्रकार से हैः–

(i)

Sr.No.	Name of Bank	Account No.	Amt.
1	K.C.C.	20007339571	2269710
2	S.B.I	11464927402	409605.06
3	S.B.I	11390273083	45812.18
4	S.B.I	11464927322	32016.20
5	P.N.B.	4519000100016889	643.92
6	K.C.C.	50061749842	51219.00
7	K.C.C.	50061750063	433.00
8	K.C.C.	50061923731	49.00

9	K.C.C.	50062188125	375000.00
10	P.N.B.	4519000100016898	6363.05
11	C.B.I	3292303179	625.00
12	P.N.B.	451900100016700	5527.92
13	P.N.B.	4519000100016719	26604.05
14	C.B.I	30397836878	2328.50
15	S.B.I	11464937578 (Fixel Deposit)	48393.00
		(विवरण परिशिष्ट–5 में) **Total**	**₹3274329.88**

(ii) हस्तगत राशि=₹610.00

4.1 रोकड़ बही का रख–रखाव नियमानुसार न करनाः–

ग्राम पंचायत दारचा की रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा रोकड़ बही का रख रखाव हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार नहीं किया गया है। नियम 7 (3) के अनुसार रोकड़ बही में अन्तिम शेष की गणना तथा प्रत्येक वर्ष के अन्त में बैंक खातों में शेष जमा राशियों का विवरण, रोकड़ बही में दिया जाना अपेक्षित है। रोकड़ बही की जाँच करने पर पाया गया कि रोकड़ बही में प्रत्येक वर्ष अथशेष/अन्तिम शेष की गणना नहीं की गई है जोकि उक्त नियम के विरूद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे में उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए पंचायत की रोकड़ बहियों का निर्माण हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5 निर्धारित सीमा से अधिक हस्तगत राशि का रखनाः–

पंचायत की रोकड़ बही के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा दिए गए विवरणानुसार हस्तगत राशि को निर्धारित सीमा से अधिक रखा गया था जोकि (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 (3) के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमों के विपरीत हस्तगत राशि को रखने का औचित्य स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार ही हस्तगत राशि का रखा जाना सुनिश्चित किया जाए।

क्र0सं0	दिनांक	हस्तगत राशि
1	17.9.13	5301
2	18.9.13 से 22.11.13	5417
3	3.12.13	5917
4	3.1.14 से 30.7.14	4417
5	17.9.14	1417

6 बजट प्राकलन तैयार न करनाः—

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखों संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म—11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राकलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करवाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के लिए पंचायत का बजट प्राकलन फार्म—11 में तैयार न करके कार्रवाई रजिस्टर में सामान्य तौर पर तैयार किया गया था। अतः बजट प्राकलनों को फार्म 11 मै तैयार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राकलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

7 पंचायत राजस्व ₹0.35 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जानाः—

पंचायत की स्व स्त्रोत से प्राप्त आय से सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.3.2016 तक पंचायत के राजस्व की ₹34536/— वसूली हेतु शेष थी।

वर्ष	अथशेष ₹	मांग ₹	योग ₹	प्राप्ति ₹	वसूली हेतु शेष ₹
2013—14	18986	9350	28336	13600	14736
2014—15	14736	9350	24086	—	24086
2015—16	24086	10450	34536	—	34536

अतः उपरोक्त राजस्व की बकाया राशि की वसूली न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए बकाया राशि की वसूली करनी सुनिश्चित की जाए।

7.1 गृहकर मांग व वसूली रजिस्टर को पूर्ण न करनाः—

ग्राम पंचायत दारचा के गृहकर मांग व संग्रह रजिस्टर की जाँच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा 31.3.16 तक प्रति परिवार की वसूली हेतु शेष राशि की गणना, मांग व संग्रह रजिस्टर में नहीं की गई थी। अतः मांग व संग्रह रजिस्टर को 31.3.16 तक पूर्ण करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8 अनुदान ₹19.81 लाख का उपयोग न करनाः—

पंचायत द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.3.16 तक अनुदान ₹1981302/—(परिशिष्ट—3) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृत पत्र की शर्त अनुसार अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना अपेक्षित था। अतः अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से समय बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए।

8.1 31.3.16 को बैंक में जमा राशियों व अनुदानों की शेष राशियों में ₹1293027.88 का अन्तर बारेः–

बैंकों में 31.3.16 को जमा शेष राशियों व प्राप्त अनुदानों की शेष राशियों का मिलान करने पर (₹3274329.88–₹1981302=₹1293027.88)₹1293027.88 का अन्तर पाया गया। अतः बैंकों में जमा अतिरिक्त राशि ₹1293027.88 किस–किस मद/स्त्रोत की है का पूर्ण विवरण बनाकर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

9 निर्माण कार्यों के प्राकलन जाँच हेतु उपलब्ध न होनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार ₹50000/–व इससे अधिक राशि के कार्यों का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राकलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता। अंकेक्षण अवधि के व्यय वाउचरों की जांच करते समय निम्नविवरणानुसार निर्माण कार्यों के प्राकलन जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थे। अतः निर्माण कार्यों के प्राकलन आगामी अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किए जाए अन्यथा निर्माण कार्यों पर किए गए व्यय को सक्षम अधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	Month	Name of work	Head	Expenditure
1	10/2013	C/o Panchayat Ghar	D.P.O.	150000
2	11/2014	R/o Deepcy across Bhaga river, Vill.Darcha Danhma	C.R.R	60000
3	8/2015	C/o Mane at Jispa	VKVNY	196000
4	8/2015	R/o Khul from Yarzi to Thothang	C.R.F.	150000

10 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही ₹5.25 लाख के स्टॉक स्टोर का क्रय करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है। व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि परिशिष्ट "4" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा ₹525255/– के स्टॉक स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः स्टॉक स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 स्टॉक रजिस्टर में क्रय मदों की प्रविष्टियाँ दर्ज न करने बारेः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 द्वारा स्टॉक स्टोर का क्रय करने के पश्चात प्रत्येक वस्तु/मद की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करना अपेक्षित था। ग्राम पंचायत दारचा के स्टॉक रजिस्टरों व बिल वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि परिशिष्ट "4" में दिए गए विवरणानुसार पंचायत द्वारा क्रय मदों की प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की थी, जोकि उक्त नियम के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः परिशिष्ट "4" में दिए विवरणानुसार प्रत्येक वस्तु को स्टॉक रजिस्टर में खपत विवरण सहित दर्ज करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में प्रत्येक क्रय वस्तु को स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करनाः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

Sr.No.	Name of Register
1	T.A. Check Register Form 20
2	Bill Register Form 13
3	Cheque Receipt and issue Register
4	Work Register
5	Fixed Deposit Register
6	Consumable stock entry Register form 26
7	Certificate issue register
8	Temporary Advance Register

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः–

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया था जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **₹2.10 लाख के Sprinkle irrigation system उपकरणों की खरीद व पात्र ग्रामीणों को वितरित करने बारेः—**

ग्राम पंचायत दारचा के अभिलेखों की जांच पर पाया गया कि रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 12 माह 11/14 में आई0डब्लयू0एम0पी0 के अन्तर्गत प्राप्त अनुदान से बिल संख्या 022166 दिनांक 7.10.14 द्वारा मै0 हिमाचल प्रदेश एग्रो इन्डस्ट्री कार्पोरेशन लि0 से ₹209874/— के Sprinkle irrigation system उपकरणों की खरीद करके पात्र ग्रामीणों को वितरित किए गए, परन्तु खरीदे गए उपकरणों की स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में दर्ज नहीं की गई थी व जिन पात्र ग्रामीणों को उपकरण वितरित किए गए उनका पूर्ण ब्यौरा व वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदें भी जाँच हेतु उपलब्ध नहीं थी। अतः जिन पात्र ग्रामीणों को उपकरण वितरित किए गए उनका पूर्ण ब्यौरा व प्राप्तकर्ता रसीदें सक्षम अधिकारी से सत्यापित करवाकर आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

15 **लघु आपत्ति विवरणिकाः—** यह अलग से जारी नहीं की गई।

16 **निष्कर्षः—** ग्राम पंचायत दारचा के रोकड़ बहियों व स्टॉक रजिस्टरों के रख रखाव में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.

पृष्ठांकन संख्याः— फिन(एल0ए0)एच(पंच)15(viii) 1/2016—खण्ड—1—6538—6541 दिनाँकः 16.12.2016
शिमला—171009,

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित हैः—

पंजीकृत
1. सचिव, ग्राम पंचायत दारचा, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, (हि0प्र0), को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित पंचायत सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी, लाहौल, जिला लाहौल—स्पिति, हि0प्र0
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड लाहौल, जिला लाहौल स्पिति, हि0प्र0

हस्ता/—
सहायक निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला—171009.